राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :– 790/2023

सरिता कुमारी (कर्मचारी आई.डी.– आरजेबीएम200505009019)

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान सरकार, शासन सचिवालय, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 30.01.2023
आदेश की दिनांक : 06.02.2023

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री संजय महला, अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी एएनएम के पद पर कार्यरत है। उन्होंने तीन वर्ष का जीएनएम प्रशिक्षण कोर्स पुरा किया था, जिसके पश्चात् उन्हें आदेश दिनांक 30.11.2022 के द्वारा आदेशों की प्रतिक्षा में रखा गया था। आलौच्य आदेश दिनांक 14.01.2023 (अनुलग्नक–1) के द्वारा अपीलार्थी का स्थानांतरण एपीओ निदेशालय, से उप केन्द्र कानसीर सवाईमाधोपुर में किया गया है। उनका तर्क है कि अपीलार्थी जीएनएम कोर्स करने के बाद उन्हें जयपुर में रखने के बजाय काफी दूर स्थानांतरित किया गय है, जबकि जयपुर शहर में एएनएम के पद रिक्त है। अपीलार्थी को बिना किसी कारण से एपीओ किया गया है, जबकि जयपुर में ही उन्हें अन्य पद पर पदस्थापित किया जा सकता था। अपीलार्थी के पति भी जयपुर में ही कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी को जयपुर में ही रखा जाना उचित था। अपीलार्थी ने एपीओ के आदेश के पश्चात अपने पदस्थापन हेतु वांछित स्थान जयपुर अंकित करते हुए विकल्प भी प्रस्तुत किया था। प्रत्यर्थी विभाग को विकल्प के

आधार पर अपीलार्थी का पदस्थापन जयपुर में करना था। परंतु उनका स्थानांतरण नियमों के विपरीत जाकर सवाईमाधोपुर किया गया है, जो गलत है। उपरोक्त आधारों पर अपीलार्थी ने स्थानांतरण आदेश निरस्त किये जाने की प्रार्थना की है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी। बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान किए जावे। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

4. अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए तथा अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता के स्वयं के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी आगामी 2 सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों के संबंध में अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा–निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी 3 सप्ताह की अवधि में नियमानुसार आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर अभ्यावेदन को निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देश अभ्यावेदन को विशिष्ट रूप से निस्तारित करने के लिए नहीं दिए जा रहे है वरन् मात्र इस आशय से दिए जा रहे है कि अपीलार्थी के अभ्यावेदन का उक्त निर्देशित अवधि में नियमानुसार निस्तारण किया जावे।

5. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)